UPGK010023032026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–08, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 978/2026

सुफियान अख्तर पुत्र इस्तमुल हक उर्फ इस्लामुल हक, उम्र 20 वर्ष, निवासी– जामिया नगर, रसूलपुर, गोरखनाथ, गोरखपुर, उ०प्र०।

–––––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **––––––––––विपक्षी**

मु०अ०सं०–172/2025
धारा–317(2),317(4),317(5),3(5) बी०एन०एस०
थाना– जी०आर०पी०, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक– 23.03.2026

वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।

आवेदक/अभियुक्त सुफियान अख्तर की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से जमानत हेतु यह आधार प्रस्तुत किया गया है कि एफ०आई०आर० में बताए गए तथ्य मनगढ़ंत, गढ़े हुए, बनावटी और बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित हैं। पुलिस अधिकारियों ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से शिकायतकर्ता को झूठा फंसाया है। आवेदक ने धारा 439 Cr.P.C./483 BNSS के तहत कोई अन्य जमानत अर्जी दाखिल नहीं की है, यह इस माननीय न्यायालय के समक्ष पहली जमानत अर्जी है। शुरू में एफ०आई०आर० धारा 3(5), 317(5), 317(2) BNS के तहत दर्ज की गई थी और जांच के बाद चार्जशीट में धारा 317(4) जोड़ दी गई, जबकि धारा 317(4) के आरोप के लिए, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, दो या अधिक अपराधों में दोषसिद्धि अनिवार्य है जो इस मामले में मौजूद नहीं है। आवेदक से केवल दो मोबाइल फोन बरामद होने का आरोप है। कोई भी स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है, जिससे आवेदक से हुई बरामदगी संदिग्ध हो जाती है। आवेदक दिनांक 20.07.2025 से जेल में है। आवेदक के सह–अभियुक्त पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। आवेदक एक स्थायी निवासी है और उसके फरार होने या न्याय की प्रक्रिया से भागने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा और निर्देशानुसार हर तरह से सहयोग करेगा। आवेदक इस माननीय न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानतदार पेश करने के लिए तैयार है। अतः माननीय न्यायालय आवेदक को जमानत प्रदान करने की कृपा करे। उक्त समस्त आधारो पर प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अपने तर्क में कथन किया है कि आवेदक/अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुनी तथा संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, "दिनांक 20.07.2025 को मै SHO विजय प्रताप सिंह मय हमराह SSI विकास यादव, HC आशुतोष मिश्रा व सादे वस्त्रो मे HC

गुरुप्रसाद, HC अविनाश सिंह, HC गुलाब चन्द्र शर्मा, CON देवेन्द्र सिंह यादव, CON विपिन यादव, CON लवकुश चौधरी, कां० भैयालाल यादव के थाना स्थानीय से बहवाले रपट नं० 02 समय 00.05 बजे रवाना हो कर अन्दर क्षेत्र चेकिंग तलाश वांछित अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम मे मामूर था कि जब हम पुलिस वाले चेकिंग करते हुये प्लेटफार्म नं० 1 पर थे कि तभी रे०सु० बल के ASI अयूब खान मय हमराह का० राकेश यादव व का० मोहन कुमार यादव के मिले कि हम लोग आपस मे लगातार हो रही मोबाइल चोरी की घटनाओ के रोक थाम के सम्बन्ध मे आपस मे वार्तालाप करते हुये चोरी की घटनाओ पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध मे विचार विमर्श करने लगे कि तभी मुखबिर खास ने आकर बताया की साहब चार व्यक्ति जो अधिकतर स्टेशन पर व ट्रेनो मे मोबाइल चोरी की घटना कारित करते है, गेट नं० (1) के पास पुनः चोरी की मोबाइलो को राहगीरो को बेचने व पुनः मिल कर चोरी की घटना करने की नीयत से इक्ट्ठा है, यदि आप लोग जल्दी करे तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर के हम पुलिस वाले एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर इत्मीनान किये कि हम पुलिस वालो के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है । हम पुलिस वाले मय हमराह मुखबिर के मुखबिर द्वारा बताये स्थान की ओर चल दिये, ज्यो हम पुलिस वाले गेट नं० (1) के पास लगे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो मुखबिर गेट के पास बैठे चार व्यक्तियो की तरफ इशारा करके हट बढ़ गया कि हम पुलिस वाले एक बारगी pto दविश दे कर गेट के पास बैठे चारो व्यक्तियो को आवश्यक बल प्रयोग कर के पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम सुफियान अख्तर s/o इस्तामुल्हक नि० जामियानगर रसूलपुर, थाना गोरखनाथ, गोरखपुर उम्र 20 वर्ष बताया, इसकी जामा तलाशी से इसके पहने पैन्ट की दाहिनी जेब से दो अदद एण्ड्राईड मोबाइल जिनका वाकायदा निरीक्षण किया गया तो निम्न प्रकार पाया गया (1) मोबाइल सैम्संग चमकीला ग्रीन IMEI 354996630975739, 357383390975737, (2) मोबाइल वीवो चमकीला पीला IMEI 868828068154751, 868828068154744 बरामद हुआ। दूसरे ने विशाल तिवारी s/o अनिल तिवारी नि० मर्चा, थाना उरुवा बाजार, जनपद गोरखपुर उम्र 21 वर्ष बताया, इसकी जामा तलाशी से इसके पहने पैन्ट (जीन्स) के दाहिने जेब से दो अदद मोबाइल बरामद हुआ, जिनका वाकायदा निरीक्षण किया गया तो निम्न प्रकार पाया गया (1) पोको नीला रंग IMEI 86256006986366, 862560069863678, (2) वीवो चमकीला आसमानी रंग IMEI 869907061205478, 869907061205460 तीसरे ने अपना नाम अवधेश सिंह s/o दान बहादुर सिंह नि० सिरसा राठौर, थाना असन्डा, जिला बाराबंकी उम्र 48 वर्ष बताया, इसके पहने लोवर पैन्ट के दाहिने जेब से दो अदद एण्ड्राइड मोबाइल बरामद हुआ जिनका वकायदा निरीक्षण किया गया तो निम्न प्रकार पाया गया (1) वीवो चमकीला आसमानी रंग IMEI 862089070912357, 862089070912340, (2) रेडमी काला रंग IMEI 862853062420905, 862853062420913 चौथे ने अपना नाम पुनीत कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रदीप कुमार श्रीवास्तव नि० हुमायूपुर, वार्ड नं० 3 मकान नं० 186, थाना गोरखनाथ, गोरखपुर उम्र 25 वर्ष बताया, इसकी जामा तलाशी से इसके पहने जीन्स पैन्ट के दाहिने जेब से दो अदद एण्ड्राईड क्रमशः मोबाइल बरामद हुआ जिनका वकायदा निरीक्षण किया गया तो विवरण निम्न प्रकार है (1) रियलमी पिकाक ग्रीन IMEI 868218078243358, 868218078243341 (2) सैम्संग आसमानी IMEI 351204852813990, 353086182813990. उपरोक्त बरामद शुदा मोबाइल के कागजात पकड़े गये व्यक्तियो से मांगने पर दिखाने से मुनकिर रहे। कड़ाई से पूछताछ करने पर उपरोक्त सभी स्वर मे बता रहे है कि साहब उपरोक्त सभी मोबाइले हम लोगो ने मिल कर ट्रेनो व प्लेटफार्मो से चोरी किया है तथा हम लोग आज इन्हे बेचने के फिराक में थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया। पूछने पर बता रहे है की हम लोग एक साथ योजना बना कर स्टेशन पर आते है तथा स्टेशन परिसर या ट्रेनो में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम देते है। हम चारो मे मौके के अनुसार एक व्यक्ति चोरी करता है, दूसरा व्यक्ति आस पास देखता रहता है कि कोई पुलिस वाला तो नही आ रहा है तथा अन्य दो व्यक्ति चोरी की मोबाइल लेकर धीरे से स्टेशन से बाहर निकल जाते है। हम लोग घटना करने के पूर्व योजना बना लेते है तथा योजना के अनुसार चोरी की घटना कारित करते है।"

अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से यह विदित होता है कि दिनांक 20.07.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर स्टेशन व ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने व राहगीरों को बेचने की घटना कारित करने का आरोप है तथा आवेदक/अभियुक्त

पर गेट नं० 1 के पास पुनः चोरी के मोबाइलों को बेचने व चोरी करने की नीयत से इकट्ठा होने का भी आरोप है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसके विरुद्ध वर्तमान मुकदमे के अतिरिक्त 05 मुकदमे हैं जो इस प्रकार हैं–1. मुकदमा अपराध संख्या 99/2023, धारा–379,411,414 भा०दं०सं०, थाना–जी०आर०पी० गोरखपुर, जिला–गोरखपुर, 2. मुकदमा अपराध संख्या 214/2023, धारा–411,413,414 भा०दं०सं०, थाना–जी०आर०पी० गोरखपुर, जिला–गोरखपुर, 3. मुकदमा अपराध संख्या 249/2024, धारा–317(2),317(4) भा०न्या०सं०, थाना–जी०आर०पी० गोरखपुर, जिला–गोरखपुर, 4. मुकदमा अपराध संख्या 170/2025, धारा–3(5),303(2),317(2),317(4),317(5) भा०न्या०सं०, थाना–जी०आर०पी० गोरखपुर, जिला–गोरखपुर, 5. मुकदमा अपराध संख्या 23/2025, थाना–शाहगंज, जिला–जौनपुर। इस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त आपराधिक प्रवृत्ति का है जिसके द्वारा जमानत पाकर बार–बार जमानत का दुरुपयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है, उसके कब्जे से दो अदद मोबाइल की बरामदगी हुई। उपरोक्त घटना का कोई चश्मदीद अथवा स्वतंत्र साक्षी नहीं है। फर्द बरामदगी के सभी साक्षी पुलिसकर्मी हैं तथा कोई भी जनता का स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त प्रकरण में सहअभियुक्तगण अवधेश सिंह व बिशाल तिवारी की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.07.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। ऐसी स्थिति मे मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए बिना गुण–दोष पर मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सुफियान अख्तर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–978/2026, मु०अ०सं०–172/2025, अन्तर्गत धारा– 317(2),317(4), 317(5), 3(5) भा० न्याय संहिता, थाना– जी०आर०पी०, जिला– गोरखपुर मे मु०– 75,000/– (पिछत्तर हजार रूपये) के व्यक्तिगत बन्ध पत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

1. आवेदक/अभियुक्त घटना से अवगत साक्षियो को डरायेगा, धमकायेगा नहीं तथा मामले के विचारण में सहयोग करेगा।
2. विचारण के दौरान आवेदक/अभियुक्त प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा मामले के विचारण में विलम्ब कारित नहीं करेगा।
3. विचारण के दौरान साक्षी के उपस्थित होने पर आवेदक/अभियुक्त अनावश्यक स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मामले को बिलंवित नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अभियोजन पक्ष/सूचनादाता आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक–23.03.2026

(अवनीश कुमार राय)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–08,
गोरखपुर।

Digitally signed by AVANISH KUMAR RAI
Date: 2026.03.23 16:43:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court